ई–मेल / डाक / आवश्यक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः एफ.6(1)(1)रोल्स / निर्वा / 2013 / 680 जयपुर, दिनांक 05.03.13

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर) राजस्थान।

विषय : विधानसभा आम चुनाव 2013 – विधानसभा आम चुनाव से पूर्व मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन एवं नये मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में।
प्रसंग : इस विभाग का पत्र क्रमांक 549 दिनांक 21.2.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के प्रासंगिक पत्र क्रमांक 549 दिनांक 21 फरवरी, 2013 के द्वारा आगामी विधानसभा आम चुनाव से पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित समस्त मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन कर नए मतदान केन्द्रों के गठन के प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भिजवाने के निर्देश दिये है। प्रासंगिक पत्र में यह भी अवगत कराया गया है कि विधानसभा आम चुनाव 2013 से पूर्व इस वर्ष पुनः मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जायेगा तथा ऐसी स्थिति में मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव भी विशेष परिस्थितियों में स्वीकार किये जायेगें।

2. दिनांक 26–27 फरवरी, 2013 को भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की आयोजित बैठक में यह भी निर्देश दिये है कि राजस्थान राज्य में विधानसभा आम चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा तथा अर्हता दिनांक 01.01.2013 के संदर्भ में 21 जनवरी, 2013 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों एवं निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया के अन्तर्गत तैयार पूरक सूचियों का प्रयोग विधानसभा आम चुनाव के दौरान किया जायेगा। अतः ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा प्रासंगिक पत्र क्रमांक 549 दिनांक 21 फरवरी, 2013 के द्वारा मतदान केन्द्रों के गठन के विषय में जारी किये गये निर्देशों में संशोधन किया जा रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में अब मतदान केन्द्रों के गठन के विषय में निम्न प्रकार से कार्यवाही की जायेगी।

1 प्रासंगिक पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन निर्धारित तिथि के अनुसार किया जायेगा। भौतिक सत्यापन की कार्यवाही के दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगें कि वर्तमान में स्थापित सभी मतदान केन्द्रों पर रैम्पस बने हुए है

या नहीं। यदि भौतिक सत्यापन की कार्यवाही के बाद कोई भवन परिवर्तन के प्रस्ताव प्रेषित किये जा रहे है तो नए भवन को चिन्हित करते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नये भवन पर रैम्पस बने हुए है।

2. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे मतदान केन्द्र जिनमें कि मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक है वहॉ पर वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार सहायक मतदान केन्द्र स्थापित किये जायेगें। सहायक मतदान केन्द्र स्थापित करने के विषय में कृपया यह सुनिश्चित करें कि उक्त मतदान केन्द्र उसी भवन में स्थापित किये जाए जिससे कि मूल मतदान केन्द्र स्थापित है। इस विषय में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यदि इस संख्या से कम मतदाताओं की संख्या वाले मतदान केन्द्र जिनमे निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया के दौरान मतदाता बढ़ने पर मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक हो जाए, के साथ भी सहायक मतदान केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव प्रेषित किए जा सकते है।

3. इसके साथ–साथ यदि भौतिक सत्यापन की कार्यवाही के दौरान कोई भवन क्षतिग्रस्त या अन्य अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन योग्य प्रतीत होता है तो उसके औचित्य पूर्ण प्रस्ताव विभाग को प्रेषित किये जायेगें।

4. उपरोक्त पैरा में दिये गये निर्देशों के अनुसार तैयार किये गये प्रस्ताव दिनांक 30 अप्रैल, 2013 तक विभाग को हिन्दी एंव अंग्रेजी में टंकित करवाकर आवश्यक रूप से विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें जिससे इन प्रस्तावों पर आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया जा सके। विभाग को प्रस्ताव प्रेषित करने से पूर्व जिला स्तर पर स्थाई समिति की बैठक भी आयोजित कर ली जाए।

भवदीय,

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ.6(1)(1)रोल्स / निर्वा / 2013 / जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संभागीय आयुक्त, (रोल पर्यवेक्षक) राजस्थान।
2. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, सरकार।